उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2023

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 16 सन् 2023)

[उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अंतर्गत प्रख्यापित किया गया तथा दिनांक 30 सितम्बर, 2023 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-2 खण्ड (क) में प्रकाशित हुआ]

[भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अध्यादेश

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैं :–

संक्षिप्त नाम और, प्रारम्भ

1–(1) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2023 कहा जायेगा।

(2) इस अध्यादेश के उपबंध ऐसी तारीख को प्रवृत्त होंगे, जैसा कि राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे:

परंतु यह कि इस अध्यादेश के भिन्न–भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न–भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अध्यादेश के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जायेगा कि वह उस उपबंध के प्रारंभ के प्रति निर्देश है।

धारा 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया) की धारा 2 में, –

(क) खंड (80) के पश्चात निम्नलिखित खंड बढ़ा दिये जाएंगे, अर्थात् :–

(80क) "ऑनलाइन गेम खेलना" से इंटरनेट या इलैक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर गेम की प्रस्थापना अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऑनलाइन धनीय गेम खेलना भी है;

(80ख) "ऑनलाइन धनीय गेम खेलना" से ऐसा ऑनलाइन गेम खेलना अभिप्रेत है, जिसमें खिलाड़ी किसी आयोजन में, जिसमें गेम, स्कीम, प्रतिस्पर्धा या कोई अन्य क्रियाकलाप या प्रक्रिया भी है, धन या धन के मूल्य, जिसके अंतर्गत आभासी डिजिटल आस्तियां भी है, को जीतने की प्रत्याशा में, धन या धन के मूल्य का संदाय या जमा करता है, जिसके अंतर्गत आभासी डिजिटल आस्तियां भी है, चाहे इसका परिणाम या निष्पादन कौशल, अवसर या दोनों पर आधारित हो या नहीं, तथा चाहे वह तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अनुज्ञेय हो या नहीं;

(ख) खंड (102) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :–

"(102क) "विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावे" से,-

(i) दांव लगाने;

(ii) कैसिनो;

(iii) द्यूतक्रीड़ा;

(iv) घुड़दौड़;

(v) लाटरी; या

(vi) ऑनलाइन धनीय गेम खेलना,"

में अंतर्वलित या उनके माध्यम से अनुयोज्य दावा अभिप्रेत है।

(ग) खंड (105) में, अंत में, निम्नलिखित परंतुक बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :–

"परंतु यह कि कोई व्यक्ति, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों की पूर्ति की व्यवस्था या ठहराव करता है, जिसके अंतर्गत वह व्यक्ति भी है, जो ऐसी पूर्ति के लिए डिजिटल या इलैक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म का स्वामी है या उसका प्रचालन या प्रबंधन करता है, ऐसे अनुयोज्य दावों का पूर्तिकार समझा जाएगा, चाहे ऐसे अनुयोज्य दावे, उसके द्वारा या उसके माध्यम से पूर्ति किए जाते हों और चाहे ऐसे अनुयोज्य दावों की पूर्ति के लिए धन या धन के मूल्य, जिसके अंतर्गत आभासी डिजिटल आस्तियां भी है, में प्रतिफल, उसको या उसके माध्यम से संदत्त या सूचित किए जाते हैं या किसी भी रीति में उसको दिए जाते हैं और इस अधिनियम के सभी उपबंध विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों के ऐसे पूर्तिकार पर लागू होंगे, मानो वह ऐसे अनुयोज्य दावों की पूर्ति करने के संबंध में कर का संदाय करने के लिए दायी पूर्तिदाता हो ।"

(घ) खंड (117) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थातः–

"(117क) "आभासी डिजिटल आस्ति" का वही अर्थ होगा, जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (47क) में उसके लिए समनुदेशित है"।

धारा 24 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 24 में,—

(क) खंड (xi) में, अंत में आने वाला शब्द "और" निकाल दिया जाएगा;

(ख) खंड (xi) के पश्चात, निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:—

"(xiक) भारत से बाहर किसी स्थान से, भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन धनीय गेम खेलने की पूर्ति करने वाला प्रत्येक व्यक्ति; और"।

अनुसूची 3 का संशोधन

4—मूल अधिनियम में, अनुसूची 3 में, पैरा 6 में शब्द "लाटरी, दांव और द्यूत" के स्थान पर, शब्द "विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों" रख दिये जाएंगे ।

संक्रमणकालीन उपबंध

5—इस अधिनियम के अधीन किए गए संशोधन, दांव लगाने, कैसिनो, द्यूतक्रीड़ा, घुड़दौड़, लाटरी या ऑनलाइन गेम खेलने को प्रतिषिद्ध, निर्बंधित या विनियमित करने का उपबंध करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे ।

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 96 सा0 विधायी—16—11—2023—(1920)—1000 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

ज्ञापन-पत्र जिसमें उन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जिनके कारण उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 16 सन् 2023) को प्रख्यापित करना आवश्यक समझा गया।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माल या सेवाओं या दोनों के अन्तःराज्यीय पूर्ति पर कर के उदग्रहण और संग्रहण के लिए और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) अधिनियमित है।

संविधान के अनुच्छेद 246क(1) के प्रावधानों के अनुसार संसद एवं राज्य विधान मण्डल को माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के प्रत्येक सम्व्यवहार पर माल और सेवा कर लगाने के लिए विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। जी0एस0टी0 काउंसिल की संस्तुति के उपरान्त केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में कतिपय संशोधन सम्बन्धी केन्द्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 को संसद से पारित कराकर तथा मा0 राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर अधिनियमित करते हुए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जा चुका है। उक्त संशोधनों के फलस्वरूप केन्द्रीय अधिनियम एवं राज्य अधिनियम में एकरूपता बनाये रखने के उद्देश्य से राज्य सरकार के स्तर पर भी उन संशोधनों को समाहित करने हेतु उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन किये जाने का विनिश्चिय किया गया। मा0 मंत्रि परिषद् द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उक्त विनिश्चय को तुरन्त कार्यान्वित करने के लिए उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2023 प्रख्यापित किया जाय।

मा0 मंत्रि परिषद् द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उक्त विनिश्चय को तुरन्त कार्यान्वित करने के लिए उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2023 प्रख्यापित किया जाय।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 30 सितम्बर, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 16 सन् 2023) प्रख्यापित किया गया।

योगी आदित्यनाथ,
मुख्य मंत्री।